आज्ञा-पत्र

11/6/19	पत्रावली पेश हुई [illegible] P.O Sb [illegible] आदेशानुसार दिनांक 03/7/19 को पेश हो।
03/7/19	पत्रावली पेश हुई [illegible] P.O Sb [illegible] आदेशानुसार दिनांक 14/8/19 को पेश हो।
14/8/19	वकील प्रार्थीगण उप. [illegible] बहस हेतु [illegible] [illegible] दिनांक 18/9/19 को पेश हो।
18/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप./ बहस [illegible] से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4/10/19 को पेश हो।
4/10/19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण/प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 [illegible] स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कायम पुनः होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र / 149 / 2014

1. बबीता पुत्री स्व. पेमाराम उम्र 22 वर्ष
2. शर्मिला पुत्री स्व. पेमाराम उम्र 20 वर्ष
   समस्त जाति जाट निवासीगण दुगोली तहसील धोद जिला सीकर

–प्रार्थीयागण

बनाम

1. गणेश राम पुत्र स्व. पेमाराम उम्र 35 वर्ष
2. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. पेमाराम उम्र 30 वर्ष
   समस्त जाति जाट निवासीगण दुगोली तहसील धोद जिला सीकर
3. पटवारी हल्का, दुगोली तहसील धोद जिला सीकर
4. उपपंजीयक, धोद तहसील धोद जिला सीकर
5. तहसीलदार, धोद तहसील धोद जिला सीकर

–अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

01. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां वकील प्रार्थीयागण की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 04.10.2

1. प्रार्थीयागण कि ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि यह कि प्रार्थीयागण के द्वारा आज माननीय न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र बहुत ही ठोस आधारों पर सादर प्रस्तुत कर दिया है प्रार्थीयागण / वादीयागण को सफलता की पूर्ण आशा है। यह कि प्रार्थीयागण एवं संख्या 1 व 2 की वंशावली निम्न प्रकार है:–

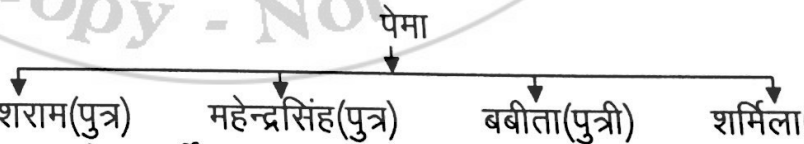

इस प्रकार प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 सगे भाई बहन हैं जो स्व. पेम पुत्र व पुत्रीयां है। प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की पैत्रिक, कदीमी, खा काश्त की कृषि भूमियॉ खसरा नम्बर 358 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489 रक है ग्राम दुगोली पटवार हल्का दुगोली की तन में अवस्थित हैं, जिनमें प्रार्थीय अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा हैं। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीयागण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता पेमा के नाम से खातेदारी सहदायिक भूमि थी। प्रार्थीयागण के पिता निर्वसयती फौत हो गये थे व उनके प पश्चात वादग्रस्त भूमियां का खाता राजस्व रेकार्ड में विरासत के नामान्तकरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

दिनांक 27.12.2004 से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अपने नाम से तस्दीक करवा लिया जो नामान्तकरण निम्नलिखित कारणों से सर्वथा अवैध, अनाधिकृत अनुचित, शून्य व प्रभावहीन हैं, स्व. पेमा के वैध अत्तराधिकारीगण प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 थे, परन्तु नामान्तकरण मात्र अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम ही तस्दीक किया गया जबकि समस्त उत्तराधिकारीगण के नाम तस्दीक किया जाना चाहिये था। इसलिए स्व. पेमा के समस्त वारिसान के नाम तस्दीक नहीं होने से सर्वथा अवैध, अनाधिकृत, शून्य व प्रभावहीन हैं। स्व. पेमा की विरासत का ना. सं. 404 तस्दीक करने से पूर्व स्व. पेमा के वैध उत्तराधिकारीगण के बारे में कोई जांच या जानकारी नहीं की गयी व बिना जांच व जानकारी के अवैध रूप से नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व प्रार्थीयागण, जो स्व. पेमा की प्रथम वर्ग की वारिस होने से वैध उत्तराधिकारी थी, को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया, इसलिए नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं। नामान्तकरण स्वीकृत करते समय लैण्ड रिकार्ड रूल्स 121 तथा धारा 133 व 135 एल आर ए के प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गयी व सर्वथा अवैध और गुप्त रूप से तस्दीक किया गया है। अप्रार्थीगण के पिता स्व. पेमा की मृत्यू के समय व उनकी विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करते समय प्रार्थीयागण नाबालिग थी तथा कानूनन नाबालिग के हक, अधिकारो के विपरीत पारित कोई भी निर्णय या नामान्तकरण विधि के प्रावधानों के विरूद्व होने से स्वतः ही निरस्त होने योग्य हैं। नामान्तकरण संख्या 404 ग्राम दूगोली के जरिये अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीयागण के पिता के स्थान पर अपने अकेलों का नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करवा लिया, परन्तु रेवेन्यू रेकार्ड में गलत अंकन मात्र से अधिकृत व्यक्तियों के अधिकार समाप्त नहीं होते है। उक्त वर्णित कृषि भूमियॉ प्रार्थीयागण की सहदायिक, पैतृक कृषि भूमियां है तथा प्रार्थीयागण स्व. पेमा के प्रथम वर्ग की वारिसान है इसलिए वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीयागण को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम अंकित हिस्से में से बहिस्सा बराबर अर्थात सम्पूर्ण भूमि में से 1/4, 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना प्रार्थनीय हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपने अकेले के नाम वादग्रस्त भूमियों का खाता होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमियों से प्रार्थीयागण को वंचित करने के उद्देश्य से भूमियों को खुर्द बुर्द करने, वेस्ट डेमेज करने, विक्रय करने हस्तानान्तरण करने, प्रार्थीयागण को बेदखल करने, कब्जे काश्त में दखलदाजी करने की कुचेष्टाओं में संलग्न हैं, जिनका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है प्रार्थीयागण ने रिकार्ड की जानकारी कर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को रेकार्ड दुरूस्त करवा के लिए कहा, परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने रिकार्ड दुरूस्त करवाने से करीब 5 रोज पू स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। अतः आवेदन मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तादौराने दावा तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को प्रतिबंधि फरमाया जावे कि वे वाके ग्राम दुगोली पटवारा हल्का दुगोली तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 358 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489 रकबा 8.24 हैक्टे कुल किता–2 कुल रकबा 8.45 हैक्टेयर प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे स्वयं नौकर, च परिजन, स्वजन, प्रार्थीयागण के कब्जे, काश्त में अमजाहमत करने, वादग्रस्त भूमियों को बुर्द करने, विक्रय करने, हस्तानान्तरण करने, वेस्ट डेमेज करने से बाज रहे व अप्रार्थी 3 व 4 को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है कि वो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के प्रस्तुत किसी हस्तानान्तरण प्रलेख को तस्दीक करने व उनके आधार पर राजस्व रि परिवर्तन करने से बाज रहें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीयागण ने अपने आवेदन के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम दृष्ठया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में होने के कारण उक्त टी.आई. आवेदन स्वीकार किया जावे।

4. प्रार्थी के वकील की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। वादियागण स्व. पेमाराम जाति जाट निवासी दुगोली की पुत्रियां है जो अपने पिता की प्रथम श्रेणी की वारिस है। इसलिए पिता की अचल सम्पत्ति में वादियागण हिस्सा प्राप्त करने का कानूनन अधिकार रखती है। पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण संख्या 404 ग्राम दुगोली से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा वादियागण के पिता का था। उक्त नामान्तरकरण वादिया के पिता के फौत होने पर भरा गया, जिसमें वारिसों के रूप में वादियागण का अंकन नहीं किया गया है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के संबंध में वादियागण का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी वादियागण के पक्ष में है। यदि उक्त विवादित आराजियात पर अप्रार्थीगणों के विरूद्ध टी. आई. जारी नहीं की जाती है तो वादियागण को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः वादियागण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 ता 5 को ताफैसला दावा प्रतिबंधित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 358 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489 रकबा 8.24 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 8.45 हैक्टेयर मौजा दुगोली पटवार मण्डल दुगोली की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के संलग्न हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद न्यायालय सीकर (राज.)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner